संख्या 1376/III(2)/05 31([illegible])/02

प्रेषक,

टी0 के0 पन्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

प्रभारी मुख्य अभियन्ता, स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2

देहरादून, दिनांक 4 अगस्त,2005

विषयः– जनपद पौड़ी में विधान सभा क्षेत्र बीरोखाल के अन्तर्गत द्वितीय चरण के कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1685/24(36)–यात –उत्तरांचल/05 दिनांक 21.6.05 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या– 8425/लो.नि.–1/03–03(बीरोखाल)/02 दिनांक 19.2.2003 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित कार्यों के आगणन लम्बाई 13.00 किमी. रूपये 124.80 लाख पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा परीक्षणोपरान्त आंकलित धनराशि रूपये 124.80 लाख (रूपये एक करोड़ चौबीस लाख अस्सी हजार मात्र) की संलग्न सूची के अनुसार चालू कार्यों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त कार्य पर आवश्यक धनराशि का व्यय शासनादेश सं0–663/III–2/05–29(बजट)/2005 दिनांक 25 मई, 2005 द्वारा चालू कार्यों के निर्वतन पर रखी गयी धनराशि से आवश्यकतानुसार आहरण किया जायेगा।

1. आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
2. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।
3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
4. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
5. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
6. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।
7. आगणन मे जिन मदों हेतु जो राशि आंकलित/स्वीकृत की गई है। व्यय उसी मद मे किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाये।
8. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाए।

9. कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी/अधिशासी अभियन्ता का होगा।

10. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमो तथा अन्य स्थायी आदेशो के अर्न्तगत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो,उनमे व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनो/पुनरीक्षित आगणनो पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनो पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। कार्य कराते समय टैण्डर विषयक नियमो का भी अनुपालन किया जायेगा।

11. आगामी किस्त तभी अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

12. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–यू.ओ. 1115/वित्त अनुभाग–3/2005 दिनांक 30 जुलाई, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(टी0 के0 पन्त)
संयुक्त सचिव।

संख्या–1376/ III(2)/05, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तराचल, इलाहाबाद/देहरादून ।
2. आयुक्त गढवाल मण्डल, पौडी ।
3. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, पौडी।
4. मुख्य अभियन्ता, गढवाल क्षेत्र, लो.नि.वि., पौडी।
5. अधीक्षण अभियन्ता, 36 वां वृत्त लो0नि0वि0 पौडी ।
6. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, पौडी
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तरांचल, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग–3/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तरांचल शासन।
10. लोक निर्माण अनुभाग–1/3 उत्तरांचल शासन ।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(टी0 के0 पन्त)
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या-1376/ III(2)/05-31(एम.एल.ए.)/02 दिनांक 1/ अगस्त,2005 का

संलग्नक

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी. में)	अनुमानित लागत	टी0ए0सी0 वित्त द्वारा आंकलित राशि
1	2	3		
1.	जनपद पौड़ी गढ़वाल में कुन्जखाल –तिमली कोटा महादेव लगन –दुगाव मोटर मार्ग का विस्तार का द्वितीय चरण का कार्य	3.00	28.80	28.80
2.	जनपद पौड़ी गढ़वाल में कुन्जखाल कोलाखाल जजेड़ी मोटर मार्ग के विस्तार का द्वितीय चरण का कार्य	4.00	38.40	38.40
3.	जनपद पौड़ी गढ़वाल में देवराजखाल–गैराजखाल –भैडगॉव –काडरी –बोदरखाल –रीठाखाल मोटर मार्ग का द्वितीय चरण का कार्य	3.00	28.80	28.80
4.	जनपद पौड़ी गढ़वाल में सगलाकोटी भैडगॉव गंवाणा तिलखोली मोटर मार्ग का द्वितीय चरण का कार्य	3.00	28.80	28.80
	योग :-	13.00	124.80	124.80

(टी0 के0 पन्त)
संयुक्त सचिव